भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 140

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

नदियों में मलजल का बहिस्त्राव

140. श्री डी.के. सुरेश:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अशोधित मलजल का नदियों में बहिस्त्राव किया जा रहा है और यदि हां, तो देश में प्रतिवर्ष उत्पन्न और शोधित सीवेज जल की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अशोधित मलजल को जल निकायों में पाटने से रोकने/नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मलजल शोधन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मलजल शोधन संयंत्रों की क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) से (घ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा मार्च, 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश में शहरी क्षेत्रों से सीवेज उत्पादन 72,368 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) होने का अनुमान है, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो के पास 31,841 एमएलडी की शोधन क्षमता उपलब्ध है। इसमें से, इन सीवेज उपचार संयंत्रों की परिचालन क्षमता 26869 एमएलडी पाई गई। शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न सीवेज और संबंधित सीवेज उपचार क्षमता का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

यह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाली नदियों की स्वच्छता और विकास सुनिश्चित करें। नदियों की सफाई एक सतत प्रक्रिया है तथा भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नदियों के प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत विभिन्न नदियों (गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर)

के चिन्हित खंडों में प्रदूषण उपशमन के लिए केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के बीच लागत साझेदारी के आधार पर कच्चे सीवेज के अवरोधन और मोड़, सीवरेज सिस्टम के निर्माण, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना, कम लागत वाली स्वच्छता, रिवर फ्रंट/स्नान घाट विकास आदि से संबंधित विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

एनआरसीपी ने अभी तक देश के 16 राज्यों में फैले 80 कस्बों में 36 नदियों के प्रदूषित खंडों को कवर किया है, जिसकी स्वीकृत परियोजना लागत 6248.16 करोड़ रु. है, तथा अन्य बातों के अलावा, 2745.7 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, 32,912.40 करोड़ रुपये की लागत से 5269.87 एमएलडी के सीवेज उपचार और 5,213 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क के लिए, 177 परियोजनाओं सहित कुल 409 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवरेज अवसंरचना सृजित की गई है।

सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत दिनांक 21.04.2015 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को निर्देश जारी किए थे और उन्हें अपने संबंधित शहरों/कस्बों में सीवेज प्रबंधन के लिए तथा शहरी क्षेत्र में उत्पन्न सीवेज के संग्रह, परिवहन और उपचार के लिए समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए कहा था। सीपीसीबी ने दिनांक 09.10.2015 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वर्ग I शहरों और वर्ग II शहरों में सीवेज प्रबंधन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए तथा उन्हे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि निर्धारित मानक के अनुसार केवल उपचारित अपशिष्ट जल का निष्कासन किया जाए।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को नदी और जल निकायों में प्रवाह से पहले अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित करने और उनके अपशिष्ट का उपचार करने के निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत उद्योगों की अपशिष्ट प्रवाह मानकों की निगरानी करती हैं तथा गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई जाती हैं।

इसके अलावा, देश में प्रदूषित नदी खंडों के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के मूल आवेदन संख्या 673/2018 में दिए आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अधिकार क्षेत्र में सीपीसीबी द्वारा चिह्नित तथा वर्ष 2018 के उनके रिपोर्ट में प्रकाशित प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करना अपेक्षित है। एनजीटी के आदेशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तथा केंद्रीय स्तर पर भी एसटीपी की क्षमता उपयोग में वृद्धि करने सहित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है।

*****

अनुलग्नक

'नदियों में सीवेज का प्रवाह' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 140 जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शहरी क्षेत्रों में सीवेज उत्पादन और उपलब्ध उपचार क्षमता का राज्य-वार विवरण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सीवेज उत्पादन (एमएलडी में)	स्थापित क्षमता (एमएलडी में)	स्थापित एसटीपी की संख्या	परिचालनशील उपचार क्षमता (एमएलडी में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23	0	-	0
आंध्र प्रदेश	2882	833	66	443
अरुणाचल प्रदेश	62	0	-	0
असम	809	0	-	0
बिहार	2276	10	1	0
चंडीगढ़	188	293	7	271
छत्तीसगढ	1203	73	3	73
दादरा और नगर हवेली	67	24	3	24
गोवा	176	66	1 1	44
गुजरात	5013	3378	70	3358
हरियाणा	1816	1880	153	1880
हिमाचल प्रदेश	116	136	78	99
जम्मू और कश्मीर	665	218	24	93
झारखंड	1510	22	2	22
कर्नाटक	4458	2712	140	1922
केरल	4256	120	7	114
लक्षद्वीप	13	0	-	0
मध्य प्रदेश	3646	1839	126	684
महाराष्ट्र	9107	6890	154	6366
मणिपुर	168	0	-	0
मेघालय	112	0	-	0
मिजोरम	103	10	1	0
नगालैंड	135	0	-	0
एन.सी.टी. दिल्ली	3330	2896	38	2715
ओडिशा	1282	378	14	55
पुदुच्चेरी	161	56	3	56

पंजाब	1889	1781	119	1601
राजस्थान	3185	1086	114	783
सिक्किम	52	20	6	18
तमिलनाडु	6421	1492	63	1492
तेलंगाना	2660	901	37	842
त्रिपुरा	237	8	1	8
उत्तर प्रदेश	8263	3374	107	3224
उत्तराखंड	627	448	71	345
पश्चिम बंगाल	5457	897	50	337
योग	**72368**	**31841**	**1469**	**26869**

******